[2021] 9 एस. सी. आर. 228

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

वी.

गंगा देवी और एएनआर।

(2015 की सिविल अपील संख्या 310)

27 सितंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

बेदखली-रहने वाले का पूर्ववर्ती-प्रतिवादी नं। 1 था।

1998 में लाइसेंस विलेख द्वारा विचाराधीन स्थान आवंटित किया गया दुकान को रहने वाले के पक्ष में स्थानांतरित किया गया-कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया

किराए पर देने और अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए-बेदखली आदेश

आवंटी को बेदखल करने का आदेश पारित-अपील खारिज-अधिभोगियों द्वारा चुनौती-लिखित याचिकाओं की अनुमति-नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा लिखित अपील-खारिज-आयोजितः दुकानों, स्टालों, फ्लैटों को नियमित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20.10.89 थी जैसा कि दिनांकित 25.07.96 परिपत्र में उल्लेख किया गया है, जिस पर रहने वाले-रहने वाले द्वारा भरोसा किया गया है।

आई. डी. 1 पर या उससे पहले स्टॉल के कब्जे में नहीं था-इसके अलावा, दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाला आई. डी. 2 दिनांकित सार्वजनिक नोटिस 14 बाजारों के संबंध में था जिसमें विचाराधीन बाजार शामिल नहीं है-यह विशेष रूप से निर्धारित करता है कि मंत्रिमंडल का पहले का निर्णय डी. टी. डी. 20.10.89 काम करना बंद कर देगा -

इसलिए, दिनांक 25.07.96 के कार्यालय आदेश में निर्धारित तिथि, दिनांक 31.08.2000 के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद प्रभावी नहीं रही -

इसके अलावा, अधिभोगकर्ता के पूर्ववर्ती द्वारा अधिभोगकर्ता के साथ निष्पादित साझेदारी विलेख लाइसेंस विलेख की शर्तों का उल्लंघन था जो भागीदार के सबलेट/इंडक्शन को प्रतिबंधित करता था।

इस तरह के लाइसेंस विलेख को कार्यालय आदेश दिनांक 25.07.96 के बाद निष्पादित किया गया था-डिवीजन बेंच और उच्च न्यायालय की एकल बेंच द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-बेदखली आदेश को बहाल किया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

25.7.1996 . यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रहने वाले के कब्जे में नहीं था 20.10.1989 पर या उससे पहले दुकान का। इसके अलावा, आई. डी. 1 दिनांकित सार्वजनिक सूचना

उन 14 बाजारों के संबंध में थी जिनमें बाबा खरग सिंह मार्ग का बाजार शामिल नहीं है। उक्त सार्वजनिक सूचना विशेष रूप से निर्धारित करती है कि

228 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बनाम। गंगा देवी और एएनआर।

मंत्रिमंडल दिनांक 20.10.1989 का संचालन बंद हो जाएगा। इसलिए,

कार्यालय आदेश दिनांक 25.7.1996 में निर्धारित तिथि मंत्रिमंडल के निर्णय दिनांक 31.8.2000 के बाद प्रभावी नहीं रही। अधिभोगियों के पूर्ववर्ती द्वारा निष्पादित लाइसेंस विलेख में एक स्पष्ट शर्त थी कि वह किसी भी भागीदार को शामिल नहीं करेगी या अधिभोगियों को छूट नहीं देगी।

परिसर। लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, सबसे पहले, साझेदारी को निष्पादित किया गया और दो महीने के भीतर, यह था

विघटित। अधिभोगकर्ता और अधिभोगकर्ता के पूर्ववर्ती का कार्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से इसके उल्लंघन में है

अनुज्ञप्ति विलेख की शर्तें। इस तरह के लाइसेंस विलेख को कार्यालय आदेश दिनांक 25.7.1996 के बाद निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, बाबा खरग सिंह के संबंध में 6.8.2001 का सार्वजनिक नोटिस लागू नहीं होगा।

मार्ग बाजार। [पारस 11,12] [236-जी-एच; 237-ए-सी] 2. केवल पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बाजारों के प्रशासन में भारत सरकार के अधिकारों को हस्तांतरित किया गया था, न कि भूमि या उस पर भवन को। परिषद को संघ के प्रतिनिधि के रूप में संपत्तियों का प्रशासन करना था। नियमितकरण /

पैरा 3 में दुकानों के आवंटन की बहाली संघ की नीति के संदर्भ में थी न कि परिषद की। प्रासंगिक खंड "भूमि और विकास कार्यालय और संपदा निदेशालय द्वारा नियमित करने के मामले में अनुसरण किए जाने वाले दिशा-निर्देश और प्रक्रिया" है। दुकानों के आवंटन की बहाली का भी पालन किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि संघ के नियमितीकरण या पुनर्स्थापना की नीति है, तो परिषद द्वारा इसका पालन किया जा सकता है। हालांकि, आवंटन के नियमितीकरण/बहाली के संबंध में परिषद की नीति, यदि कोई हो, लागू नहीं होगी। इसलिए, भले ही परिषद ने नियमितीकरण की नीति प्रस्तुत नहीं की है, यह वर्तमान अपील में उठाए गए प्रश्नों के लिए सामग्री नहीं है। परिषद के अधिकार भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संपत्तियों का प्रशासन करने के हैं न कि एक मालिक के रूप में क्योंकि परिषद के पक्ष में बाजारों में अधिकारों का कोई हस्तांतरण नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बाजारों के हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व को केवल धन के लिए उपयोग किए जाने वाले निधियों के एक अलग कोष में जमा किया जाना है।

बाजारों के विकास का उद्देश्य और बिना किसी अन्य उद्देश्य के। ऐसी आय परिषद को उनके बजट के हिस्से के रूप में जमा नहीं होगी। इसलिए, भारत सरकार द्वारा परिषद को हस्तांतरित किए गए बाजारों को स्वतंत्र रूप से निपटना होगा और परिषद के स्वामित्व वाली संपत्तियों से अलग क्योंकि परिषद का ऐसे बाजारों पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसे केवल [2021] 9 एस. सी. आर. का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार की ओर से। उच्च न्यायालय की खंड पीठ और उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश कानून में गलत हैं। वही अलग रखे जाते हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 5.12.2006 पर पुष्टि किए गए बेदखली के आदेश को बहाल कर दिया गया है। [पारस 15-17] [237-G-H; 238-A-F]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.310

2015 . 2009 के एल. पी. ए. No.145 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.04.2009 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2015 की सिविल अपील Nos.311,312 और 313।

योगिंदर हांडू, अश्विन कटारिया, एड. अपीलार्थी के लिए।

संजय जैन, एएसजी, ए. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. आर. राजगोपाल, एस. शांतनम स्वामीनाथन, सुश्री अभिलाषा श्रवण, सुश्री आरती राजन, राजेश कुमार सिंह, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री रीना पांडे, अमरीश कुमार, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश से उत्पन्न चार अपीलों का निपटारा करेगा।

लेटर्स पेटेंट अपील में।

2. चूंकि सभी अपीलों में तथ्य समान हैं, इसलिए संदर्भ की सुविधा के लिए, 2015 की सिविल अपील संख्या 310 के तथ्यों को यहां संदर्भित किया गया है। प्रतिवादी नं. 1 को दिनांकित 11.3.2004 का कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था। 11 आई. डी. 1 पर किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर बाबा खरग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थित एक स्टाल में किराए पर देने और अनधिकृत निर्माण का आरोप। एक जवाब दाखिल किया गया था कि दुकान श्रीमती को आवंटित की गई थी। महेशी ढौंडियाल और उसी को वर्ष 1999 में रहने वाले को सौंप दिया गया था। श्रीमती. महेशी ढौंडियाल ने वर्ष 2000 में दुकान को मालिक के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया और इसलिए, मालिक ने इस संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया। इसके अलावा, रहने वाले ने दिनांकित परिपत्र पर भरोसा किया

25.7.1996 साथ ही मंत्रिमंडल के दिनांक 31.8.2000 के निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति जिसके तहत दुकानों पर रहने वाले लोग

1 इसके बाद 'अधिभोगकर्ता' के रूप में संदर्भित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद v.

गंगा देवी और एएनआर।

14 निर्दिष्ट बाजारों में स्वामित्व अधिकार दिए जाने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार, रहने वाले ने दावा किया कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है और उसके साथ भी उक्त 14 बाजारों में रहने वालों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

3. दाखिल जवाब पर विचार करने के बाद बेदखली का आदेश पारित किया गया।

एस्टेट कार्यालय, एस्टेट निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 15.12.2005 पर, आबंटित व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश देते हुए, जिससे रहने वाले ने स्टॉल खरीदा था। उक्त फैसले के खिलाफ अपील को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 5.12.2006 पर खारिज कर दिया था। उक्त आदेश को रहने वाले ने रिट कोर्ट में चुनौती दी थी। विद्वान। एकल पीठ ने दो रिट याचिकाओं को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि केवल इसलिए कि विचाराधीन बाजार यानी बाबा खरग सिंह मार्ग बाजार दिनांकित अधिसूचना के आधार पर नई दिल्ली नगर परिषद 2 की गोद में आ गया है।

24.3.2006 , इसका यह अर्थ नहीं है कि उस बाजार के लिए स्वामित्व के प्रतिस्थापन/परिवर्तन के संबंध में नीति परिषद द्वारा उसके द्वारा प्रबंधित अन्य सभी बाजारों के लिए अपनाई गई नीति से अलग हो सकती है। इसलिए, परिषद उनके साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकती है और रहने वाले को अपनी नीतियों के अनुसार आवंटन के नियमितीकरण का हकदार माना गया था। परिषद को दो महीने के भीतर अधिभोगियों के पक्ष में आवंटन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। परिषद द्वारा दायर एक अंतर-अदालत अपील को 6.4.2009 पर विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। परिषद अभी भी व्यथित है और इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रही है।

4. रहने वाले के पूर्ववर्ती को विचाराधीन स्थान आवंटित किया गया था

4.8.1998 पर। 11.8.1998 पर निष्पादित लाइसेंस विलेख की कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:

" 8. अनुज्ञप्तिधारक उक्त परिसर या किसी भाग की अनुमति नहीं देगा।

इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना और

इसकी चूक निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगी। अनुज्ञप्तिधारक (ओं) करेगा किसी भी भागीदार का परिचय नहीं देगा और न ही वह इसके स्वामित्व का हस्तांतरण करेगा।

परिसर या उसका हिस्सा या अन्यथा व्यवसाय चलाता है

परिसर परिसर में उसकी रुचि को अलग करता है।

XX

XX

XX

11. लाइसेंसधारक इस लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त करने पर होगा।

उक्त परिसर का कब्जा सरकार को सौंपना

2 संक्षेप में, 'परिषद' [2021] 9 एस. सी. आर.

जितनी अच्छी स्थिति में वे लाइसेंस की तारीख में थे, सामान्य पहनें और फाड़ें सिवाय।

XX

XX

XX

14. यह लाइसेंस बिना किसी प्रकार के वास्तविक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

निम्नलिखित घटनाएँ, अर्थात्:

(i) यदि लाइसेंसधारी एक व्यक्ति या एक फर्म है, तो इसमें कोई भागीदार है।

लाइसेंस फर्म की मृत्यु हो जाएगी, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाएगा

या उसके प्रशासन के लिए प्राप्त करने का आदेश या आदेश होगा उसके खिलाफ की गई संपत्ति या उसके लिए कोई कार्यवाही करेगा।

किसी भी दिवाला अधिनियम के तहत परिसमापन या संरचना, उस समय के लिए

बल में होना या अपने प्रभावों का कोई हस्तांतरण या कार्य करना या अपने लेनदारों के साथ रचना के लिए कोई समझौता करने के लिए

भुगतान को निलंबित कर देगा या एक नया भागीदार पेश करेगा या बदल जाएगा।

साझेदारी का गठन या यदि फर्म को इसके तहत भंग किया जाता है

साझेदारी अधिनियम, या

((ii) यदि अनुज्ञप्तिधारी एक कंपनी होने के नाते एक प्रस्ताव पारित करेगा या

न्यायालय परिसमापन या उसके मामलों के लिए आदेश देगा या डिबेंचर धारकों की ओर से प्राप्तकर्ता या प्रबंधक होगा

नियुक्त या परिस्थितियों में ऐसी स्थिति होगी जो अधिकार प्रदान करती है प्राप्तकर्ता या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए न्यायालय या डिबेंचर धारक।

बशर्ते कि इस तरह का दृढ़ संकल्प पूर्वाग्रह नहीं करेगा

इसके बाद सरकार को जमा करें।

5. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एक साझेदारी विलेख द्वारा निष्पादित किया गया था

रहने वाले के साथ 12.6.2000 पर रहने वाले का पूर्ववर्ती जिसमें

पूर्ववर्ती ने साझेदारी फर्म में केवल 20 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी थी और शेष 80 प्रतिशत हिस्सेदारी रहने वाले की थी। इस तरह की साझेदारी को 3.8.2000 पर भंग कर दिया गया था, यानी साझेदारी फर्म बनने के 2 महीने के भीतर। विघटन विलेख की शर्तों में से एक यह थी कि अधिभोगियों के पूर्ववर्ती को अधिभोगियों के पक्ष में दुकान के हस्तांतरण और उनके नाम पर नियमित करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह शहरी विकास मंत्रालय के 24.3.2006 पर था,

भारत सरकार ने कुछ बाजारों को दिल्ली परिषद और नगर निगम डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2006 को हस्तांतरित कर दिया। उक्त आदेश में कहा गया है - इस प्रकारः

डब्ल्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल बनाम। गंगा देवी और एएनआर।

" एस. ओ. 404 (ई)। - जबकि शहरी विकास मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय, संपदा निदेशालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसका प्रशासन कर रहे हैं।

दिल्ली के विभिन्न बाज़ार।

2. और जबकि केंद्र सरकार ने भूमि और विकास कार्यालय, संपदा निदेशालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (इंदिरा चौक, राजीव चौक और आई. एन. ए. बाजार परिसर को छोड़कर) के तहत बाजारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम को दुकानों पर दुकानों और फ्लैटों (आर. के. पुरम बाजार, श्रीनिवासपुरी, एंड्रयूज गंज, नानकपुरा और लांसर रोड बाजारों में दुकानों पर सामान्य पूल फ्लैटों को छोड़कर) का "जैसा है वैसा है" आधार पर, यह निम्नानुसार तय किया जाता है;

3. इन बाजारों के हस्तांतरण पर नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम इन बाजारों में दुकानों और फ्लैटों के संबंध में पट्टेदार या लाइसेंसधारक के रूप में कार्य करेंगे और

विभाग, जैसा भी मामला हो, पट्टेदार या लाइसेंसधारक के रूप में। द. भूमि और विकास कार्यालय और संपदा निदेशालय द्वारा शीर्षक के प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन, उपहार अनुमति, बिक्री अनुमति, बंधक अनुमति, लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने, परिसर के उपयोग में परिवर्तन के मामले में दिशानिर्देश और प्रक्रिया का पालन करना।

दुकानों के आवंटन को नियमित करना/बहाल करना आदि, व्यापार में परिवर्तन, स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, दुरुपयोग/नुकसान शुल्क की वसूली आदि का भी पालन स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकता है। नई दिल्ली नगर परिषद और नगर निगम

दिल्ली।

4. पट्टेदार/अनुज्ञप्तिदाता के रूप में कार्य करने के अलावा, स्थानीय निकाय भवन उप-कानूनों, नगरपालिका उप-कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं और अन्य वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

5. नई दिल्ली नगर परिषद और नगर निगम दोनों

दिल्ली सरकार एक अलग कोष बनाएगी जिसमें किराया, लाइसेंस, अनर्जित वृद्धि, प्रीमियम, रूपांतरण शुल्क, नुकसान/दुरुपयोग शुल्क आदि की प्राप्ति के माध्यम से बाजारों के हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व जमा किया जाएगा। यदि किसी कारण से राशि सामान्य नगरपालिका कोष में जमा की जाती है, तो एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमा की गई राशि और खर्च की गई राशि को प्रस्तुत किया जाना है भूमि और विकास कार्यालय और शहरी मंत्रालय

विकास, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

नगर परिषदें अनुलग्नक-I के तहत सूचीबद्ध हैं। इसी तरह, विवरण नगर निगम को हस्तांतरित किए जा रहे बाजारों में से

दिल्ली अनुलग्नक-II में है।

और सभी अभिलेखों का हस्तांतरण 30 अप्रैल, 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा। 7. अधिभोगियों का तर्क था कि खंड 3 के संदर्भ में,

स्थानीय निकायों द्वारा। यह तर्क दिया गया था कि भारत सरकार ने 25.7.1996 पर उन दुकानों, स्टालों, फ्लैटों को नियमित करने की अनुमति दी थी जो 20.10.1989 पर या उससे पहले संबंधित परिसरों के कब्जे में आ गए थे। रिलायंस को 12 बाजारों के दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स में 6.8.2001 पर प्रकाशित भारत सरकार द्वारा जारी एक विज्ञापन पर भी रखा गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि मंत्रिमंडल का दिनांक 20.10.1989 का पूर्व निर्णय, जिसका उल्लेख दिनांक 25.7.1996 के कार्यालय आदेश में मिलता है, काम करना बंद कर देगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि बाबा खरग सिंह मार्ग बाजार उक्त सार्वजनिक सूचना के दायरे में आने वाले बाजार क्षेत्रों में से एक नहीं है। इस तरह की सार्वजनिक सूचना से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल का पूर्व निर्णय दिनांकित 20.10.1989 काम करना बंद कर देगा। अब संपदा निदेशक,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निर्माण भवन, नई दिल्ली, आबंटित पट्टेदारों से आवेदन की मांग

निम्नलिखित चौदह बाजार जिन्हें स्वामित्व नहीं दिया गया है

निर्धारित को स्वीकार करते हुए स्वामित्व अधिकार देने के लिए उनके मामले मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णय में अनुमोदित नियम और शर्तें

दिनांकित 31.8.2000।

XX

XX

XX V दिल्ली नगरपालिका परिषद v. गंगा देवी और एएनआर।

2. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति पात्र होंगे -

उत्पादन के अधीन स्वामित्व अधिकारों के अनुदान पर विचार

(क) मूल आबंटित व्यक्ति (ख) जिन आबंटियों के नाम पर दुकानों को नियमित किया गया है।

मूल आबंटियों की सहमति से या उससे पहले 20.10.1989 .

(ग) 20.10.1989 के बाद 31.8.2000 तक निर्विवाद रहने वाले।

8. रहने वाला नियमित करने की नीति पर भी निर्भर था।

अनुलग्नक आर/3 के रूप में, संभवतः की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है

cil और 18.12.2006 पर डाउनलोड करें। प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैं -

:

" धनराशियों का हस्तांतरण

आवंटन का हस्तांतरण एन. डी. एम. सी. की नीतियों/संकल्पों के अनुसार किया जाता है।

योग्यता के आधार पर निम्नलिखित मामलों में स्थानांतरण की अनुमति हैः

1. साझेदारीः

लाइसेंस बढ़ाने के बाद साझेदारी या सबलेटिंग की अनुमति है।

परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर शुल्क।

XX

XX

XX

4. दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों के लाइसेंस का नवीनीकरणः नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित समय के भीतर पहुंचना चाहिए।

नियम और शर्तों के अनुसार अर्थात समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले

वर्तमान लाइसेंस। एक शपथ पत्र की आवश्यकता है कि कोई उल्लंघन नहीं है

नियम और शर्तें वर्तमान लाइसेंस की हैं।

दुकानों, स्टालों, कियोस्क, थाराओं, कार्यालयों के मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण स्थान/इकाइयों और रेस्तरां को दस की अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है।

लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के अधीन वर्ष दर वर्ष आधार पर

@ 10 % प्रति वर्ष और जैसा कि परिषद द्वारा समय पर तय किया जा सकता है

समय पर।

क) दुकानें/बाजारः - पालिका प्लेस, पालिका बाजार और पालिका भवन के लाइसेंस शुल्क ने डब्ल्यू. ई. एफ. 1-9-2000 को 1-9-2007 कर दिया।

ख) समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर नुकसान का शुल्क लिया जाएगा @

30 % लाइसेंस शुल्क "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 9 एस सी आर।

9. रहने वाले के लिए विद्वान वकील ने भी एक अंतरिम पर भरोसा किया

इस न्यायालय द्वारा 30.10.2012 पर पारित आदेश जिसमें, दिनांकित 24.3.2006 अधिसूचना में निर्दिष्ट नियमितीकरण की नीति को भारत संघ और परिषद द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह तर्क दिया गया था कि ऐसी कोई नीति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए, अधिभोगकर्ता परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध नीति के अनुसार स्टाल स्थल को नियमित करने का हकदार है। अधिभोगियों ने निदेशक (संपदा), परिषद द्वारा भारत सरकार के संपदा निदेशालय के निदेशक (संपदा) को दिनांक 21.5.2008 के संचार पर भी भरोसा किया था, जिसमें निर्धारित कट-ऑफ तिथि के संशोधन के लिए मार्गदर्शन मांगा गया था, यानी 20.10.1989 जिसमें अधिभोगियों के नाम पर दुकानों के हस्तांतरण के लिए परिसर का अधिकार। इसके जवाब में, संपदा निदेशक, भारत सरकार ने 8.7.2008 पर सूचित किया कि सभी शक्तियां

बाजारों का प्रशासन अब परिषद/एम. सी. डी., संबंधित स्थानीय निकाय के पास होगा, यानी परिषद इस विशेष मामले में अपनी ओर से उचित कार्रवाई कर सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 21.5.2008 और 8.7.2008 दिनांकित पत्र अंतर-विभागीय संचार हैं और जनता के लिए कोई नीतिगत निर्णय या परिपत्र नहीं हैं। इस प्रकार, इस तरह के अंतर-विभागीय संचार संघ या परिषद के प्रवर्तनीय आदेश नहीं हैं। 10. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया था कि लाइसेंस विलेख वर्ष 1998 में निष्पादित किया गया था।

अनुज्ञप्ति विलेख, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि 6.8.2001 पर प्रकाशित नोटिस बाबा खरग सिंह मार्ग बाजार में स्थित स्टालों पर लागू नहीं होगा और यह कि 20.10.1989 दिनांकित मंत्रिमंडल ने काम करना बंद कर दिया था। जिन आबंटियों/अधिभोगियों को वर्ष 1989 में मंत्रिमंडल के निर्णय में स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनसे 30.9.2001 पर या उससे पहले आवेदन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

11. दुकानों, स्टालों, फ्लैटों को नियमित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20.10.1989 थी जैसा कि दिनांक 25.7.1996 के परिपत्र में उल्लेख किया गया है। होना ही है। नोट किया कि रहने वाले के पास 20.10.1989 पर या उससे पहले स्टॉल नहीं था। इसके अलावा, आई. डी. 1 दिनांकित सार्वजनिक सूचना उन 14 बाजारों के संबंध में थी जिनमें बाबा खरग सिंह मार्ग का बाजार शामिल नहीं है। उक्त सार्वजनिक सूचना में विशेष रूप से कहा गया है कि मंत्रिमंडल का दिनांकित 20.10.1989 का पूर्व निर्णय काम करना बंद कर देगा।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बनाम। गंगा देवी और एएनआर।

इसलिए, दिनांक 25.7.1996 के कार्यालय आदेश में निर्धारित तिथि मंत्रिमंडल के निर्णय दिनांक 31.8.2000 के बाद प्रभावी नहीं रही। 12. अधिभोगियों के पूर्ववर्ती द्वारा निष्पादित लाइसेंस विलेख में एक स्पष्ट शर्त थी कि वह किसी भी भागीदार को शामिल नहीं करेगी या

परिसर को खाली करें। लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, सबसे पहले, साझेदारी को निष्पादित किया गया और दो महीने के भीतर, इसे भंग कर दिया गया। अधिभोगकर्ता और अधिभोगकर्ता के पूर्ववर्ती का कार्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लाइसेंस विलेख की शर्तों का उल्लंघन है। इस तरह के लाइसेंस विलेख को कार्यालय आदेश दिनांक 25.7.1996 के बाद निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, बाबा खरग सिंह मार्ग बाजार के संबंध में 6.8.2001 दिनांकित सार्वजनिक सूचना लागू नहीं होगी।

13. परिषद के आवंटन के हस्तांतरण की नीति वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति से 60 दिन पहले बनाई जानी है। साझेदारी, हस्तांतरण, योग्यता के आधार पर कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में परिवर्तन के मामलों में भी हस्तांतरण की अनुमति दी जानी है। हस्तांतरण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति की प्रयोज्यता की जांच करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।

परिषद के लिए बाजार।

पैरा 3 में आगे कहा गया है कि विभाग के दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं स्वामित्व के प्रतिस्थापन/परिवर्तन, उपहार की अनुमति, बिक्री की अनुमति, बंधक की अनुमति, लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने,

स्थानीय निकायों द्वारा परिसरों का उपयोग, दुकानों के आवंटन को नियमित/बहाल करने का भी पालन किया जा सकता है। पैरा 5 में आगे विचार किया गया है कि किराया, लाइसेंस, अनर्जित वृद्धि, प्रीमियम, रूपांतरण शुल्क की प्राप्ति के माध्यम से बाजारों के हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व को निधियों के एक अलग कोष में जमा किया जाएगा और इस तरह के कोष का उपयोग केवल बाजारों के विकास के उद्देश्य से किया जाना था और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

15. इस प्रकार, केवल पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बाजारों के प्रशासन में भारत सरकार के अधिकारों को हस्तांतरित किया गया था, न कि भूमि या उस पर भवन को। परिषद को संपत्तियों का प्रशासन [2021] 9 एस. सी. आर. के रूप में करना था।

संघ के प्रतिनिधि। पैरा 3 में दुकानों के आवंटन का नियमितीकरण/बहाली संघ की नीति के संदर्भ में थी न कि परिषद की। प्रासंगिक खंड यह है कि "दुकानों के आवंटन को नियमित करने/बहाल करने के मामले में भूमि और विकास कार्यालय और संपदा निदेशालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का भी पालन किया जा सकता है"। इस प्रकार, यदि नियमितीकरण या बहाली की नीति है

संघ का, उसी का पालन परिषद द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, आवंटन के नियमितीकरण/बहाली के संबंध में परिषद की नीति, यदि कोई हो, लागू नहीं होगी। इसलिए, भले ही परिषद ने नियमितीकरण की नीति तैयार नहीं की है, लेकिन यह प्रश्नों के लिए सामग्री नहीं है।

वर्तमान अपील में उठाया गया। परिषद के अधिकार भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संपत्तियों का प्रशासन करने के हैं न कि एक मालिक के रूप में क्योंकि परिषद के पक्ष में बाजारों में अधिकारों का कोई हस्तांतरण नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बाजारों के हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व को धन के एक अलग कोष में जमा करना पड़ता है

इसका उपयोग केवल बाजारों के विकास के उद्देश्य से किया जाएगा और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसी आय परिषद को उनके बजट के हिस्से के रूप में जमा नहीं होगी। 16. इसलिए, भारत सरकार द्वारा परिषद को हस्तांतरित किए गए बाजारों को स्वतंत्र रूप से और अलग से निपटना होगा।

परिषद के स्वामित्व वाली संपत्तियों का ऐसे बाजारों पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसे केवल भारत सरकार की ओर से उनका प्रबंधन करने के लिए कहा गया है।

कानून में। वही अलग रखे जाते हैं। 5.12.2006 पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए बेदखली के आदेश को बहाल कर दिया गया है। हालांकि, रहने वालों को खाली करने और भौतिक रूप से खाली स्थान सौंपने का समय दिया जाता है 30.11.2021 पर या उससे पहले विचाराधीन साइटों का कब्जा। इस प्रकार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे